दूध में मिलावट करने वालों की धरपकड़ के लिये शहर

कानपुर। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की 100 दिन की कार्ययोजना के तहत आम जन मानस को शुद्ध दूध वे खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिये विभागीय टीमों ने गुरुवार को शहर भर में छापे मारे। कई प्रतिष्ठानों से नमूने लेकर जांच के लिये भेजे गये।

एक टीम ने डिप्टी पड़ाव में खाद्य कारोबारकर्ता महेन्द्र पाल के प्रतिष्ठान पर छापा मारा और मिश्रित दूध का नमूना जांच के लिये लिया। टीम में खाद्य सुरक्षा अधिकारी सतीश चंद्र, कोमल सिंह, कन्हैयालाल यादव, सुनील कुमार पटेल शामिल थे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी संजीव कश्यप, मृत्युन्जय कुमार, कमल नारायण व करन सिंह की टीम ने अंकल दुग्ध भंडार कर्रही रोड (कारोबारकर्ता अतुल कुमार) में छापा मारकर मिश्रित दूध का नमूना लिया। एक अन्य टीम ने झाड़ीबाबा पड़ाव कैनाल रोड पर (खाद्य कारोबारकर्ता ओमप्रकाश) छापा मारकर मिश्रित दूध का नमूना लिया।

कई प्रतिष्ठानों से लिये मिश्रित दूध व आइस्क्रीम के नमूने

जांच में मिलावट की पुष्टि के उपरांत की जायेगी कार्रवाई

एक अन्य टीम ने जरी
में छापा मारकर मिश्रित दूध
यादव, शिरीन, अमर बहादु
मंडलीय खाद्य सुरक्षा अधि
अधिकारी राजेश कुमार (सी
शान्तनु कुमार, जितेन्द्र पटेल
यादव की टीम ने न्यू शिवलं
यूपी 77 टी 5924 महेन्द्रा बो
कारोबारकर्ताओं को मिश्रित द
लेकर जांच के लिये भेजे। व
निगोहा गांव निवासी धीरेन
रामआधार और ओमी शामि
संतोष आइस्क्रीम स्थित चौबेपु
से आइस्क्रीम का नमूना वास्ते
नमूनों को जांच के लिये विभा

जे.के. कॉटन लिमिटेड

CIN: U17111UP1924PLC000275

पंजीकृत कार्यालय : कमला टावर, कानपुर नगर–208001 उत्तर प्रदेश, भारत
दूरभाष : +91 5122371478 - 81 फैक्स : +91512-2332665
ई–मेल : harshit@jkcotton.com वेबसाइट : www.jkcotton.com

सूचना

एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी के सदस्यों की वार्षिक आमसभा (ए.जी.एम.) दिनांक 26 जुलाई, 2017 दिन बुधवार को अपरान्ह 12.30 बजे डा. गौर हरि सिंघानिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एण्ड रिसर्च, कमला नगर, कानपुर–208005 के ऑडिटोरियम में आयोजित की जायेगी जिसमें ए.जी.एम. की सूचना में वर्णित व्यवसायों को पारित किया जायेगा। कंपनी के सूचना व वार्षिक रिपोर्ट जिसमें सूचना, निदेशक रिपोर्ट परिशिष्टियों सहित, वार्षिक वित्तीय विवरण 2016–17 व स्वतंत्र ऑडिटर रिपोर्ट, अटेन्डेन्स स्लिप एवं प्राक्सी फार्म शामिल है, को स्वीकृत माध्यमों से प्रेषित करने का कार्य पूर्ण कर लिया है। उपरोक्त सभी दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट www.jkcotton.com व CDSL की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध है।

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 108 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम 2014 के नियम 20 के अंतर्गत कंपनी अपने सदस्यों को जो कि फिजिकल या डीमैट फार्म में बुधवार 19 जुलाई 2017 (कटऑफ डेट) को शेयर धारक है, को सूचना में वर्णित व्यवसायों पर वोट करने के लिये CDSL द्वारा प्रदत्त इलेक्ट्रानिक माध्यम (रिमोट ई–वोटिंग) द्वारा ई–वोटिंग सेवा प्रदान कर रही है। ई–वोटिंग अनुदेश पत्र वार्षिक आमसभा की सूचना का अभिन्न अंग है। रिमोट ई–वोटिंग रविवार 23 जुलाई, 2017 को प्रातः 9.00 बजे से प्रारम्भ हो कर मंगलवार 25 जुलाई, 2017 को सायं 5.00 बजे समाप्त होगी, रिमोट ई–वोटिंग दी गई तारीख व समय के बाद उपलब्ध नहीं होगी। बांठिया एण्ड कम्पनी (श्री जी. के. बांठिया) प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी (C.P. No. 1405) को रिमोट ई–वोटिंग / पोलिंग को निश्पक्ष एवं पारदर्श तरीके से कराने के लिये Scrutinizer नियुक्त किया गया है।

ऐसा कोई सदस्य जो वार्षिक आमसभा की सूचना के प्रेषण के बाद कंपनी के शेयर अर्जित करता है व कटऑफ डेट को शेयर धारक है वह वार्षिक आमसभा के सूचना पत्र में वर्णित रिमोट ई–वोटिंग के अनुदेशों का पालन करते हुए लॉग–इन आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त कर सकता है।

सदस्यों के मतदान का अधिकार कटऑफ डेट को कंपनी की प्रदत्त ईक्विटी शेयर पूंजि में उनके शेयर के अनुपात में होगा। जिस व्यक्ति का नाम सदस्यों के रजिस्टर में अथवा कटऑफ डेट को डिपाजिटरी द्वारा बेनिफिसियल ओनर के रजिस्टर में दर्ज है, वही केवल रिमोट ई–वोटिंग द्वारा पहले नहीं डाला हो और वह ए.जी.एम. स्थल पर उपलब्ध है, ऐसे सदस्य जिन्होंने ए.जी.एम. से पहले रिमोट ई–वोटिंग द्वारा अपना मत डाल दिया हो, ए.जी.एम. में उपस्थित रह सकते हैं परन्तु ए.जी.एम. में फिर से मतदान करने के हकदार नहीं होंगे।

इलेक्ट्रानिक माध्यम के द्वारा वोटिंग सम्बन्धित जानकारी / असुविधा के लिये सदस्य व बेनिफिसियल ओनर सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न ("FAQ") व ई–वोटिंग मैन्युअल www.evotingindia.com के सहायता हैल्प सेक्शन में देखे या helpdesk-evoting@cdslindia.com को ई–मेल करें।

बोर्ड की आज्ञा अनुसार
हस्ताक्षर
(हर्षित गुनानी)
कम्पनी सचिव

स्थान : कानपुर
दिनांक : 29 जून 2017

वृद्धा की हत्या में आरोपी

■ कानपुर।

वृद्धा की हत्या के मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। सजा के साथ ही 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी किया है।

नर्वल के पूरनपुर निवासी कमलेश कुमार की मां सलोनी देवी (70) वर्ष विगत 24/25 जून 2008 की रात को घर के बाहर बरामदे में सो रही थी। रात करीब 1 बजे पदमन तिवारी ने ईटा से कुचलकर सलोनी की हत्या कर दी। पास में ही सो रहे पुत्र किशन जब सुबह उठा तो देखा कि मां

चारपाई पर मृत प
निशान थे। इस बा
कुमार को जानका
के पास पदमन तिव
है तब कमलेश ने
मामले की सु
श्रीवास्तव की अदा
की बहस के दौरा
गवाही को प्रस्तुत
साक्ष्य एवं गवाही व
आरोपी को उम्रकैद
की सजा सुनाई है।

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता
नगरीय विद्युत वितरण मण्डल (तृतीय)
केस्को, 33 केवी एच ब्लाक उपकेन्द्र,
किदवई नगर, कानपुर

अल्पकालीन ई-निविदा सूचना

निम्न कार्य हेतु निविदादाताओं से दो अलग-अलग भागों में ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा के नियम व शर्तें निविदा प्रपत्र में दर्शाये गये है। दिनांक : 10.07.2017 को अपरान्ह 17.00 बजे तक आनलाईन भुगतान पर निविदा प्रपत्र डाउनलोड किये जा सकते है। पूर्ण रूप से भरे हुए निविदा प्रपत्र दिनांक : 11.07.2017 को अपरान्ह 14.00 बजे तक अपलोड किये जा सकते है। धरोहर धनराशि आनलाईन जमा की जा सकती है। अन्यथा एफ.डी.आर. के रूप में केस्को, कानपुर के नाम से कार्यालय में निविदा खुलने की तिथि को अपरान्ह 14.00 बजे तक मूल प्रति जमा की जा सकती है।

छत पर स

सरसौल/कानपुर (एसए
चलते महाराजपुर के उमराव
किसान परिवार के साथ छत
चोर उसके घर से पचास हजार
लाख रुपये के जेवर लेकर चम्प
के पीछे के दरवाजे की कुं
दाखिल हुए थे। गुरुवार सुबह घ
होने पर पीड़ित ने पुलिस को सू
पहुंची पुलिस ने छानबीन में
पड़ोस में रहने वाली युवती
पर शक जताया है, जिसने
देर रात तक फोन पर कई
लोगों से मोबाइल पर बात
की थी। पुलिस ने युवती तो मोब
लिया है। पीड़ित ने अज्ञात के रि
है।

उमरावखेड़ा गांव विनी बर